Dy.No/WM-I/AG-DAG/13/24-25 25/11/24
19-11-24
DY ITS/CAG MAIL 2024-25/587

[Cag-all-offices] Corrigendum on notification dated 16.07.2024 regarding amendment in CCS (Pension) Rules, 2021.

From : MANOJ KUMAR <saoaudit-r@cag.gov.in> Tue, Nov 19, 2024 03:50 PM

Mail Done **

Subject : [Cag-all-offices] Corrigendum on notification dated 16.07.2024 regarding amendment in CCS (Pension) Rules, 2021.

1 attachment

To : CAG-ALL-OFFICES <CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in>

Cc : Swati Pandey <pdpersonnel@cag.gov.in>, Sonali Chatterjee <aoent@cag.gov.in>

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124

सँख्या:- 352 -स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर/ 06-2024
दिनांक:-19.11.2024

प्रति

1. **भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय ।**
2. **प्रधान निदेशक (कार्मिक)**
3. **निदेशक (कार्मिक)**

महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार, पटना का सचिवालय
डायरी संख्या CAD-813
निर्गत तिथि 20/11/24

विषय: Corrigendum on notification dated 16.07.2024 regarding amendment in CCS (Pension) Rules, 2021.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय अधिसूचना **सा. का. नि. 410 (अ)** दिनांक **16.07.2024** को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है ।

क्षेत्रीय कार्यालय कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें । इसे संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Notification G.S.R. 410 (E) dated 16.07.2024 is issued by Department of Pension and Pensioner's Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi on the subject cited above is attached with this E-mail.

The field offices may download the OM attached with the E-mail for further necessary action. It can also be downloaded from the website of the concerned Ministry.

संलग्नकः यथोपरि।

व० उप० महालेखाकार (प्र०/जी०ई०)
डायरी सं० 604
दिनांक 20/11/24

भवदीय
हस्ता/-
(मनोज कुमार)

उप-महालेखाकार (लेखा एवं भी०एल०सी०/कार्य)
Dy. Accountant General (A/cs & VLC/Works)
डायरी सं० / Dy. No. 291
दिनांक / Date 20/11/24

Sh. Rahul
27/11/24

वरि.प्रशासनिक अधिकारी/स्टाफ हक(नियम)

CAG-ALL-OFFICES mailing list -- cag-all-offices@lsmgr.nic.in
To unsubscribe send an email to cag-all-offices-leave@lsmgr.nic.in

Corrigendum_Pension25072024.pdf
658 KB

फा. सं. 55/13/2023-P&PW(C)(Part1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली
दिनांक 25. 07.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Corrigendum on notification dated 16.07.2024 regarding amendment in CCS (Pension) Rules, 2021

Please refer to notification dated 16.07.2024 in Gazette of India regarding amendments in CCS (Pension) Rules, 2021 (Copy attached). I am directed to request you to read para 1, clause (2) of page 1 of the said notification as under

'(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।'.

2. This issues with the approval of competent authority.

Encl: As above

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Govt of India
Ph No. 24644634

To,

All Ministries/Departments of Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, **2024**

सा.का.नि. .... (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ पच्चीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 के उपनियम (15) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के समय, प्ररूप 6-क में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे पुन: प्रस्तुत करेगा।"

3. उक्त नियमों के, नियम 53 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले पर ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं, केवल ई-एचआरएमएस (अधिवर्षिता मामलों में) के माध्यम से प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं तथा अधिवर्षिता से भिन्न सभी मामलों में (अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन, अशक्तता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा सेवा से पदच्युति या हटाया जाना), प्ररूप 6-क भविष्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।";

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में "भविष्य" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस)"।

4. उक्त नियमों के, नियम 57 में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (ग) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सलाह";